





9



डॉ. नि. लालकृष्ण खडिया
 डॉ. लालकृष्ण खडिया
 17.12.13

... १२ वें अधिनियम एवं खंडानामांक...
 अधिनियम १९६८ की धारा ५६ (D) प्रकृत अर्थानुसार

राज्य: राष्ट्रीय स्टाफ प्राधान्य
 (बॉर्डिंग स्टाफ प्रकृत) १९९९ की अनुसूची
 1 वा 1 क संख्या 2-3 ज 'A' with the permission
 अधिनियम अध्याय १९६८ L.R.D.C. Simdega vide case
 क्रि. (या स्टाफ प्रकृत) सं. वि. ५५२/२०१२-१३ order dt-
 १२.४.१३ १२.४.१३ १२.४.१३


Atul
 12.4.13

॥१॥ लेख्यकारी:- श्री लाजरुस खडिया पिता स्व० मरकुस खडिया,
 जाति- खडिया, पेशा- छेतीबारी, निवास गाँव-सलडेगा गढ़ाटोली,
 थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

... .. बिक्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या:- 148 / 2013

Nitraj Barua
 S/O Sri Pyara Barua
 P.O. - Chhachholali Simdega
 P.S. - Simdega
 12.4.2013



--2--

§2§ लेख्यधारी:- श्री प्रमोद कुमार टेटे पिता स्व० मनमसीह
टेटे, जाति- खड़िया, पेशा- नौकरी, निवास गाँव- सलडेगा,
धाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

समय-पत्र संख्या:- 149 / 2013

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिंग एक लाख पनचानबे हजार रुपये अर्के 1,95,000/-
रुपये होता है ।

§5§ सम्पत्ति:- खतियानी हिस्से की अन्दर मौजा- सलडेगा
गढ़ाटोली, धाना- सिमडेगा, धाना नं० 117, सदर रजिस्ट्री
ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 42 §बेयालिस§ प्लॉट
नं० 1537 §पन्द्रह सौ सैंतीस§ रकबा 1.04 एकड़ में से 0.10 एकड़
§दस डिसमिल§, शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली
जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान
या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- छोड़ा गया कच्चा रास्ता,

दक्षिण:- इलारूस टेटे का चौरा,


पूरव :- इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम:- इलारूस टेटे का चौरा ।

मालगुजारी 5 पैसा §पाँच पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

डॉ. नि. लालरूस खड़िया
क. लेख दुगा दुगा
नं. 12/4/013

डॉ. सही-डॉ. नि. रुक्मिणी टेटे
पिता- स्व. स्व. निरन्तर टेटे
साक्षि - सलडेगा गढ़ा- टोली
बाना + मिला - सिमडेगा
रवाह मेरे सामने देखा दिया
क. लेख दुगा दुगा
नं. 12/4/013



--3--

{1} चूंकि मुझ लेख्यकारी को बेटा का शादी करने वो मकान बनाने हेतु रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैं लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

{2} इसलिए मैं अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

{3} मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत जमीन लेख्यकारी की खतियानी जमीन है जो आर.एस. में मतलु खड़िया वो लोहरा खड़िया वगैर के नाम से दर्ज है । विक्रीत जमीन ख० रै० लोहरा खड़िया के हिस्से की जमीन है जिसकी मृत्यु हो चुकी है । उसके तीन पुत्र थे मरकुस खड़िया वो टिमन खड़िया वो रतिया खड़िया । तीनों भाईयों के बीच जमीनों का मौखिक बँटवारा हो गया है । मरकुस खड़िया की भी मृत्यु हो चुकी है । उसे सिर्फ एक पुत्र लाजरुस खड़िया {लेख्यकारी} है जो अपने नाम उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कराकर मालगुजारी खास नाम से देता आ रहा है । विक्रीत जमीन पर लेख्यकारी का शांति

१. मि. लाजरुस खड़िया
 व. लोहरा खड़िया
 दि. १२/५/०३





--4--

पूर्ण दखल कब्जा है जिसपर किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं है ।

{4} चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 452/2012-13 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 9.3.2013 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 305/ii/13 दिनांक 09.3.2013 है ।

{5} अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

{6} इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वकत जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैंसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजलूआ के तहत नहीं है ।

ह.मि. लागुरुय खड़िया
क.लेव इंग इंग
दि. 12/4/03






--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

डॉ. नि. लाजकूस खडिया
ब. लेव दुगा दुगा
ता. 12/4/013

डॉ. नि. लाजकूस खडिया
ब. लेव दुगा दुगा
ता. 12/4/013




प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी
लाजकूस खडिया के लिये हाथ के पाँचों अंगुलियों
का छाप मैं समस्त किया गया है।
S. R. Mehta
Advocate
12.4.013

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Pramod Kumar Teli
12.04.2013



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी
प्रमोद कुमार टेली के लिये हाथ के पाँचों अंगुलियों
का छाप मैं समस्त किया गया है।
S. R. Mehta
Advocate
12.4.013



--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/-

Saty Raw Mehta
Advocate
 12.4.013

॥ प्रारूपकर्ता ॥

तारीख:-

डॉ. लाला जगन्नाथ स्वर्दिपा
 व. लाला जगन्नाथ
 12.4.013



100Rs.



--7--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 642 शब्द टंकित हैं जो छण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
12-4-2013

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

टै.नि. लाजपत खड़िया
ब. लेख डूंग डूंग
ता. 12/4/2013

